राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(3)दिशा–निर्देश/विधि/पंरा/2024/ जयपुर,दि0

–::परिपत्र::–

विषयः– विमुक्त, घुमन्तु एवं अ़र्द्वघुमन्तु के आवासहीन व्यक्तियों को भूखण्ड आवटन बाबत।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अधिकांश ग्राम पचायतों द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु के आवासहीन व्यक्तियों को नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किये जाने में शिथिलता बरती जा रही है। इस संदर्भ में लेख है कि राजस्थान पचायती राज, 1996 के नियम–158 के तहत इस प्रयोजनार्थ पंचायत 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि आवंटन अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडें वर्गो के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं हैं, और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह या गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेंगी। **गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, घुमक्कड़ भेड़ पालकों को 300 वर्गगज तक आबादी भूमि निःशुल्क आवंटित कर सकेगी** तथा सिंचाई परियोजना के विस्थापितों को निःशुल्क अधिकतम 300 वर्गगज के अध्यधीन रहतें हुए उनके स्वमित्व वाले गृह स्थलों या गृह के समतुल्य आबादी भूमि आवंटित कर सकेगी।

अतः समस्त संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वर्णित श्रेणी के आवासहीन व्यक्तियों को नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किये जाने की कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाये।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

RajKaj Ref
5568257

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं प0 राज, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. समस्त मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, राजस्थान।
6. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजस्थान।
7. ए0सी0पी0 पंचायती राज को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

उपायुक्त एवं
शासन उप सचिव(प्रथम)

RajKaj Ref
5568257

IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0 एफ.4(27)घुमन्तु/विधि/पंरा/2024/ जयपुर, दिनांकः

1. ज़िला कलेक्टर,
   समस्त (राजस्थान)
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :—घुमन्तु , अर्द्धघुमन्तु एवं विमुक्त आवासहीन व्यक्तियों को भूखण्ड/पट्टाआवंटन बाबत।

जैसा कि आपको विदित है राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.8.2024 से 2.10.2024 की अवधि में अभियान चलाया जाकर घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु एवं विमुक्त श्रेणी के आवासहीन परिवारों को भूखण्ड/पट्टा आवंटित किये गए थे । इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि **जिन परिवारों/व्यक्तियों को पट्टे आवंटित किये जा चुके है, उन्हें भौतिक कब्जा भी संभलवाकर उन सभी पट्टों की रजिस्ट्री/पंजीकरण प्रकिया अगले 30 दिवस में सम्पन्न करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।**

इस अभियान के तहत राज्यभर में उपरोक्त श्रेणी के आवासहीन परिवारों को 02 अक्टूबर, 2024 को एकसाथ पट्टे वितरित किये गए थे। इस अभियान के दौरान यह पाया गया कि ग्राम पंचायतों के पास आवेदन करने वाले सभी परिवारों को अपूर्ण कागजातों अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से भूखण्ड/पट्टा आंवटित नहीं किये जा सके थे।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि:—

1. घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु एवं विमुक्त श्रेणी के ऐसे परिवार जिनके द्वारा आवेदन किया जा चुका है तथा उन्हें प्रक्रियात्मक अपूर्णता की वजह से तत्समय भूखण्ड/पट्टा आवंटित नहीं किया जा सका था, ऐसे समस्त आवेदक परिवारों को आवासीय भूखण्ड आंवटित किये जाने हेतु समस्त प्रक्रियाएं पूर्व की ...

Signature valid
Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2024.10.18 16:03:16 IST
Reason: Approved

2. बिन्दु संख्या 1 के अतिरिक्त इस श्रेणी के ऐसे परिवार जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया है, उनसे आवेदन प्राप्त कर उन्हें भी भूखण्ड/पट्टा आवंटित किये जाने हेतु आवश्यक समस्त प्रक्रियाऐं पूर्ण कर उन्हें भी आवंटन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु श्रेणी के परिवारों/व्यक्तियों को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–158 में वर्णित प्रावधानों के तहत भूखण्ड/पट्टा आवंटित किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। **अतः यह कार्य प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता से निरन्तर किया जाना सुनिश्चित किया जाये।**

4. राज्य सरकार की यह मंशा है कि इस श्रेणी के शेष रहे समस्त आवासहीन परिवारों/व्यक्तियों को दिनांक 02.10.2024 को आयोजित समारोहों के दौरान वितरित किये गए पट्टों की भांति निकट भविष्य में सम्भवतया जनवरी/फरवरी, 2025 में कोई तिथि नियत की जाकर समारोहपूर्वक पट्टे वितरित किये जायें।

5. अतः उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 से 3 तक के अनुसार भूखण्ड/पट्टा आवंटित किये जाने संबंधी समस्त प्रक्रियाऐं तथा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव आदि पारित करवा लिये जाये, किन्तु संबंधित परिवार/व्यक्ति का पट्टा तैयार कर कार्यालय में ही रख लिया जाये। उक्त पट्टे बिन्दु संख्या 4 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तिथि तय होने पर उक्त पट्टे संबंधित परिवार/व्यक्ति को पूरे राज्य में एक साथ वितरित किये जायेंगे।

6. यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त श्रेणी के परिवारों को आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड़ों हेतु रियायती दरों का निर्धारण राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–158(2) के अनुसार किये जाये, जो इस प्रकार से हैः–

(क) 1000 से कम की आबादी वाले गावों में (1991 की जनगणना) – 2/– प्रति वर्ग मीटर

(ख) 1001 से 2000 की आबादी वाले गावों में (1991 जनगणना) – [illegible] प्रति वर्ग मीटर

Signature valid

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2024.10.18 16:03:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 11253696

(ग) 2000 से अधिक की आबादी वाले गावों में (1991 जनगणना) –10/–
प्रति वर्ग मीटर

उक्त निर्देशों की पालना किये जाने हेतु आपके स्तर से समस्त संबंधित को पाबन्द किया जाकर, पालना सुनिश्चित की जाये।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(इन्द्रजीत सिंह)
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव(प्रथम)

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
6. एसीपी कम उप निदेशक, पंचायती राज को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु ।

उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव(प्रथम)

Signature valid
Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2024.10.18 16:03:16 IST
Reason: Approved

IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0 एफ.4(27)घुमन्तु/विधि/पंरा/2024/ जयपुर, दिनांकः

जिला कलेक्टर,
समस्त (राजस्थान)।

विषय :—विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु आवासहीन व्यक्तियों को भूखण्ड/पट्टा आवंटन अभियान बाबत।

प्रसंगः— विभागीय राजकाज पत्रांक 9793264 दिनांक 14.8.2024।

राज्य सरकार द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु श्रेणी भूखण्डहीन/आवासहीन व्यक्तियों को एक अभियान चलाया जाकर भूखण्ड/पट्टा आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। **इस अभियान के तहत राज्यभर में उपरोक्त श्रेणी के आवासहीन परिवारो को आगामी 02 अक्टूबर, 2024 को एक साथ पट्टा वितरित किये जाने का निश्चय किया गया है। प्रासंगिक पत्र द्वारा इस अभियान हेतु प्रारम्भिक दिशा—निर्देश समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् को प्रेषित किये जा चुके हैं (प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है)।**

दिनांक 02 अक्टूबर, 2024 के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मिलित होने की सम्भावना है । अतः इस अभियान के महत्व को समझते हुए, आपको निर्देशित किया जाता है कि इस अभियान का ज़िला स्तर पर नियंत्रण एवं संचालन आपके स्तर से किया जाये। इस संदर्भ में अभियान की सफलता हेतु कृपया अविलम्ब निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करावें:—

1. इस अभियान की सफल कियान्विति हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद संबंधित को ज़िला स्तर पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर (इस प्रकार से नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम, मो0 नम्बर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी प्रेषित करावें), उन्हें निर्देशित किया जाये कि वे ज़िले की समस्त पंचायत समितियों से सतत समन्वय स्थापित कर, विभागीय निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें तथा प्रासंगिक पत्र में दिये गए निर्देशों की पालना में ज़िले की समस्त सूचना एकत्रित कर निर्धारित समय पर विभाग को भिजवायें।
2. विभागीय राजकाज पत्र 9987268 दि0 23.8.2024 के द्वारा आपको विभिन्न राजस्व प्राधिकारियों के यहां ग्राम पंचायतों द्वारा प्रेषित आबादी विस्तार के लम्बित प्रकरणों की संख्या भिजवाई जा चुकी है । अतः आप व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान देकर, उक्त लम्बित प्रस्तावों के अनुरूप संबंधित ग्राम पंचायतो को आबादी विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि आवंटित/सेट अपार्ट किया जाना सुनिश्चित करावें । उक्त सूची में कुछ प्रकरण स्थानीय निकायों यथा उदयपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण आदि से संबंधित हो सकते हैं, ऐसे प्रकरणों में संबंधित प्राधिकारी से आप स्वयं समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Jain
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.29 19:16:23 IST
Reason: Approved

3. यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रासंगिक पत्र में अभियान हेतु की जाने वाली कार्यवाही के लिए समय–सीमा निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार से है:–

की जाने वाली कार्यवाही	दिनांक
ग्राम पंचायतवार ऐसे भूखण्डहीन परिवारों की कुल संख्या पंचायती राज विभाग को प्रेषित किया जाना	22.8.2024
समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा आबादी भूमि का चिन्हिकरण किया जाना	29.8.2024 तक
ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन प्राप्ति का कार्य पूर्ण करना	5.9.2024 तक
ग्राम पंचायतवार प्राप्त आवेदनों की संख्या की सूचना पंचायती राज विभाग को प्रेषित किया जाना	7.9.2024 तक
समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर ग्राम पंचायत की बैठक में नियामानुसार प्रस्ताव पारित किया जाना	दिनांक 06.9.2024 से 25.9.2024 तक
ऐसे परिवारों/व्यक्तियों की कुल संख्या ग्राम पंचायतवार, जिन्हें पट्टा वितरित किया जाना है, पंचायती राज विभाग को प्रेषित किया जाना	26.9.2024 तक
समस्त परिवारों/व्यक्तियों को एकसाथ पट्टा वितरित किया जाना	02.10.2024 को

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर पर एक बैठक आयोजित कर, उक्त समयावधि के अनुसार अभियान की समस्त कार्यवाहियां सम्पन्न करवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

4. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस अभियान के तहत आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों हेतु रियायती दरों का निर्धारण राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–158(2) के अनुसार किया जाये, जो इस प्रकार से है:–
   (क) 1000 से कम की आबादी वाले गावों में (1991 की जनगणना) – 2/–प्रति वर्ग मीटर
   (ख) 1001 से 2000 की आबादी वाले गावों में (1991 की जनगणना) – 5/– प्रतिवर्ग मीटर
   (ग) 2000 से अधिक की आबादी वाले गावों में (1991 की जनगणना) – 10/ प्रति वर्ग मीटर
5. ग्राम पंचायत द्वारा इस श्रेणी के चिन्हित किये गए ऐसे व्यक्ति जिनके पास जाति प्रमाण–पत्र नहीं हैं, ऐसे समस्त व्यक्तियों के जाति प्रमाण–पत्र भी बनवाये जाने सुनिश्चित करवायें, ताकि इस प्रमाण–पत्र के अभाव में कोई पात्र व्यक्ति भूखण्ड/पट्टा आवंटन से वंचित नहीं रह जाये ।
6. राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–158(1) के तहत अभियान के तहत अधिकतम 300 वर्गगज तक का भूखण्ड आवंटित किये जाने का प्रावधान है इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्येक को 300 वर्गगज का भूखण्ड ही दिया जाना होगा, भूखण्ड का क्षेत्रफल 300 वर्गगज तक की सीमा में, ग्राम पंचायत के पास आबादी भूमि की उपलब्धता, पात्र व्यक्ति की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जा सकती है ।
7. इस अभियान के संदर्भ में पंचायती राज विभाग को प्रेषित की जाने वाली समस्त सूचनाऐं ई–मेल आईडी panchayatirajlegal@gmail.com पर प्रेषित की जाये।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Jain
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.29 19:16:23 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि:–
1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0राज, जयपुर ।
4. एसीपी कम उप निदेशक, पंचायती राज को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु ।

IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0 एफ.4(27)घुमन्तु/विधि/पंरा/2024/ जयपुर, दिनांकः

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :– विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु आवासहीन व्यक्तियों को भूखण्ड/पट्टा आवंटन अभियान बाबत।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि राज्य में काफी बड़ी संख्या में विमुक्त,घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु श्रेणी के ऐसे परिवार हैं, जिनके पास आवास हेतु भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में इस श्रेणी के व्यक्तियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न आवास योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है । राज्य सरकार द्वारा ऐसे भूखण्डहीन/आवासहीन व्यक्तियों को एक अभियान चलाया जाकर भूखण्ड/पट्टा आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है । **इस अभियान के तहत राज्यभर में उपरोक्त श्रेणी के आवासहीन परिवारों को आगामी 02 अक्टूबर, 2024 को एकसाथ पट्टा वितरित किये जाने का निश्चय किया गया है ।**

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अविलम्ब निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें:–

1. विभागीय पत्र राजकाज क्र0 7197741 दिनांक 15.05.2024 द्वारा आपसे विमुक्त,घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु श्रेणी के ऐसे परिवारों की संख्या चाही गई थी, जिनके पास वर्तमान में भूखण्ड आवंटित नहीं हैं । तत्पश्चात विभागीय पत्र राजकाज क्र0 8656477 दिनांक 04.7.2024 के द्वारा आप से ऐसे परिवारों की उनके आधार कार्ड नम्बर सहित विस्तृत सूचना भी चाही गई थी। इस प्रकार से वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास इस श्रेणी के आवासहीन परिवारों की संख्या विस्तृत विवरण के साथ उपलब्ध है। यहां यह भी सम्भावना हो सकती है कि जिस समय आपके ज़िले से उक्त विभागीय पत्रों के क्रम में जो परिवार चिन्हित किये गये हैं उनकी संख्या में वर्तमान में बढ़ोत्तरी/कमी हो सकती है। चूंकि राज्य सरकार की मंशा इस श्रेणी के समस्त परिवारों को भूखण्ड/पट्टा दिये जाने की है। अतः संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करवाया जाये कि वर्तमान में संबंधित ग्राम पंचायत के क्षेत्र में इस श्रेणी के समस्त आवासहीन परिवारों की कुल संख्या कितनी है।

2. बिन्दु संख्या 01 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायतवार ऐसे भूखण्डहीन परिवारों की संख्या एकत्रित कर, **दिनांक 22.8.2024 तक आवश्यक रूप से आपके द्वारा पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर दी जाये।**

RajKaj Ref
9793264

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Jain
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 15:54:35 IST
Reason: Approved

3. बिन्दु संख्या 02 के अनुसार भूखण्डहीन परिवारों को भूखण्ड आवंटित किये जाने हेतु आवश्यक **आबादी भूमि का चिन्हिकरण भी समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा दिनांक 29.8.2024 तक करवा लिया** जाये। यह कार्य संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति के द्वारा व्यक्तिशः देख–रेख में करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4. जिस ग्राम पंचायत में ऐसे परिवारों को आंवटन योग्य आबादी भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो संबंधित विकास अधिकारी इस प्रयोजनार्थ आबादी विस्तार के प्रस्ताव अविलम्ब तैयार करवा कर संबंधित राजस्व प्राधिकारी को भिजवाते हुए इसकी प्रतिलिपि जिला परिषद एवं पंचायती राज विभाग को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

5. बिन्दु संख्या 03 एवं 04 की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात ऐसे चिन्हित समस्त परिवारों को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–158 के तहत अधिकतम 300 वर्गगज तक की भूमि रियायती दरों पर दिये जाने हेतु संबंधित परिवारों से आवेदन प्राप्त किये जाये। **आवेदन प्राप्ति का कार्य हर हाल में दिनांक 05.9.2024 तक पूर्ण कर लिया जावे** तथा प्राप्त किये गये आवेदनों की संख्या संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा एकत्रित कर दिनांक 06.9.2024 तक जिला परिषद को एवं जिला परिषद द्वारा **ग्राम पंचायतवार उक्त संख्या की सूचना दिनांक 07.9.2024 तक पंचायती राज विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।**

6. **दिनांक 06.9.2024 से दिनांक 25.9.2024 तक की अवधि में समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा बिन्दु संख्या 05 के अनुसार प्राप्त आवेदनों पर ग्राम पंचायत की बैठक में** नियामानुसार प्रस्ताव पारित किया जाना/नियम–148 के तहत आपत्ति आमंत्रण नोटिस प्रकाशित किया जाना तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर भूखण्ड आवंटन का ग्राम पंचायत की बैठक में निर्णय पारित करवाये जाने की कार्यवाहियां सम्पन्न की जानी होंगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि **चूंकि इस प्रकार से भूखण्ड आवंटन का यह कार्य एक अभियान के तौर पर किया जा रहा है। अतः नियम–148 के परन्तु में वर्णित प्रावधानानुसार नियम–148(1) के अनुसार आक्षेप आमंत्रण की अवधि एक मास के स्थान पर सात दिवस की होगी।**

7. बिन्दु संख्या 06 की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात ऐसे पात्र परिवारों के संख्या जिन्हें भूखण्ड आवंटित कर पट्टा दिये जाने का निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा लिया गया है, **ऐसे परिवारों/व्यक्तियों की कुल संख्या ग्राम पंचायतवार संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा एकत्रित कर दिनांक 25.9.2024 तक जिला परिषद को एवं जिला परिषद द्वारा ग्राम पंचायतवार उक्त संख्या की सूचना दिनांक 26.9.2024 तक पंचायती राज विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।** इस अभियान के संदर्भ में पंचायती राज विभाग को प्रेषित की जाने वाली समस्त सूचनाएं ई–मेल आईडी panchayatirajlegal@gmail.com पर प्रेषित की जाये।

8. उपरोक्तानुसार **समस्त परिवारों/व्यक्तियों को दिनांक 02 अक्टूबर, 2024 को राज्य भर में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के अवसर पर एक साथ पट्टा वितरित किया जायेगा, इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से यथा समय विभाग द्वारा प्रेषित किये जायेंगे।**

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

RajKaj Ref
9793264

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Jain
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 15:54:35 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0राज, जयपुर।
4. एसीपी कम उप निदेशक, पंचायती राज को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु ।

शासन सचिव एवं आयुक्त

RajKaj Ref
9793264

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Jain
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 15:54:35 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ. 4(27)घुमन्तु/विधि/पंरा/2024/   जयपुर दिनांकः

विषयः— विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु भूखण्डहीन व्यक्तियों को 2 अक्टूबर, 2024 को पट्टा वितरण करने बाबत।

राज्य सरकार द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु श्रेणी के आवासहीन परिवारो को रियायती दरो पर भूखण्ड दिये जाने हेतु विभागीय पत्र क्रमांक 9793264 दिनांक 14.08.2024 एवं 10111764 दिनांक 29.08.2024 द्वारा दिशा—निर्देश जारी किये गये थे। इस निर्देशो की पालना में ऐसी श्रेणी के व्यक्तियों/परिवारों को चिन्हित कर, आवास हेतु नियमानुसार पट्टा तैयार करने की कार्यवाही आप द्वारा की जा चुकी होगी।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में राज्य स्तर, जिला स्तर, पंचायत समिति स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर समारोह आयोजित कर उक्तानुसार चिन्हित व्यक्तियों/परिवारों को दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को पट्टे वितरित किये जायेंगे। इस संबंध में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमो हेतु दिशा निर्देश इस प्रकार से हैः—

<u>राज्य स्तरीय समारोह</u>

राज्य स्तरीय समारोह की व्यवस्था पंचायती राज विभाग द्वारा की जायेगी।

<u>जिला स्तरीय समारोह</u>

1. जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन संबंधित जिला परिषद द्वारा किया जायेगा। जिला परिषद द्वारा इस समारोह हेतु जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों यथाः माननीय सासंदगण/विधायकगण/स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण एवं जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यगण को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदायों से जुड़े संगठनो के पदाधिकारियों को भी जिला स्तरीय आयोजन में आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2024.09.28 15:30:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10824597

2. जिला स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिन चिन्हित व्यक्तियों/परिवारों को पट्टे वितरित किये जाने है उनकी संख्या का निर्धारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वयं स्तर पर तय करेंगे। यहां इस बात का ध्यान रखा जाये कि चयनित ऐसे व्यक्तियों/परिवारों की संख्या में जिला परिषद के अधीन आने वाली समस्त पंचायत समितियों का प्रतिनिधिनित्व रहे। ऐसे चयनित व्यक्तियों को भी यथासमय आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. इस समारोह में व्यक्तियों/परिवारों को पट्टो का वितरण उस समारोह में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण में से प्रोटोकॉल के अनुसार वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के हाथो पट्टा वितरित करवाया जाये।

<u>पंचायत समिति स्तरीय समारोह</u>

1. पंचायत समिति स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन संबंधित पंचायत समिति द्वारा किया जायेगा। पंचायत समिति द्वारा इस समारोह हेतु जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों यथाः माननीय विधायकगण/स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण एवं पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यगण को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. पंचायत समिति स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम मे जिन चिन्हित व्यक्तियों/परिवारों को पट्टे वितरित किये जाने है उनकी संख्या का निर्धारण विकास अधिकारी स्वयं स्तर पर तय करेंगे। यहां इस बात का ध्यान रखा जाये कि चयनित ऐसे व्यक्तियों/परिवारों की संख्या में पंचायत समिति के अधीन आने वाली समस्त ग्राम पंचायतो का प्रतिनिधिनित्व रहे। ऐसे चयनित व्यक्तियों को भी यथासमय आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. इस समारोह में व्यक्तियों/परिवारों को पट्टो का वितरण उस समारोह में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण में से प्रोटोकॉल के अनुसार वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के हाथो पट्टा वितरित करवाया जाये।

Signature valid

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2024.09.28 15:30:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10824597

<u>ग्राम पंचायत स्तरीय समारोह</u>

1. ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के दौरान किया जायेगा। आयोजन की व्यवस्था संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी। ग्राम पंचायत द्वारा इस समारोह हेतु ग्राम पंचायत स्तर के समस्त जनप्रतिनिधियों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपर वर्णित जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर पर जिन चिन्हित व्यक्तियों/परिवारों को पट्टे वितरित किये जाने है को छोडकर उनके अतिरिक्त शेष रहे अन्य समस्त चिन्हित व्यक्तियों/परिवारों को पट्टा वितरित किया जायेगा। ऐसे चयनित व्यक्तियों को भी यथासमय आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. इस समारोह में व्यक्तियों/परिवारों को पट्टो का वितरण उस समारोह में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण में से प्रोटोकॉल के अनुसार वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के हाथों पट्टा वितरित करवाया जाये।

उपरोक्तानुसार आयोजित होने वाले कार्यक्रम हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये। समारोह स्थलो पर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु भूखण्डहीन व्यक्तियों को 2 अक्टूबर, 2024 को पट्टा वितरण किये जाने वाले कार्यक्रम को दर्शाते हुए फ्लैक्स/होल्डिंग्स/बैनर आदि भी प्रचार प्रसार हेतु प्रदर्शित किये जायें ताकि आमजन को इस आयोजन की व्यापक तौर पर जानकारी प्राप्त हो सके। कार्यक्रम में पट्टेधारी व जनमानस हेतु आवश्यक जलपान इत्यादि की व्यवस्था संबंधित संस्था द्वारा सुनिश्चित की जाऐ। कार्यक्रम में बॉटे गए पट्टो की प्रगति रिपोर्ट व कार्यक्रम के फोटो, विडियो व प्रेस में हुए कवरेज को Email Id- panchayatirajlegal@gmail.com पर दिनांक 02.10.2024 को 07.00 PM तक भेजना सुनिश्चित करे।

(इन्द्रजीत सिंह)
उपायुक्त एवं शासन उप
सचिव (प्र

Signature valid
Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2024.09.28 15:30:26 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।

RajKaj Ref No.: 10824597

2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
5. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
8. एसीपी कम उप निदेशक, पंचायती राज को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।

Signature valid

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2024.09.28 15:30:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10824597

TOP PRIORITY

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ. 4(27)घुमन्तु/विधि/पंरा/2024/ जयपुर दिनांकः

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त(राजस्थान)

विषयः– विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु भूखण्डहीन व्यक्तियों को 2 अक्टूबर, 2024 को पट्टा वितरण करने बाबत।

प्रसंगः–विभागीय पत्र क्रमांक 10827791 दिनांक 29.09.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र अनुसार दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को पट्टे वितरित किये जाने संबंधित दिशा–निर्देशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैः–

1. पट्टा वितरण कार्यक्रम अब ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर आयोजित नहीं किया जाकर, जिला स्तर पर ही आयोजित किया जाना है अर्थात् जिले के समस्त चयनित लाभार्थियों जिन्हें पट्टा वितरित किया जाना है, उन्हें उक्त पट्टे जिला स्तरीय समारोह में ही वितरित किये जाने हैं।

2. जिला स्तरीय समारोह में संलग्न सूची अनुसार घुमन्तु जातियों के गणमान्य प्रतिनिधियों (संलग्न सूची में जिलेवार नाम, एवं मो0नं0 दिये गये है।) को भी सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाये। आमंत्रित इन अतिथियों में से एक अतिथि को मंच पर सम्मानपूर्वक स्थान प्रदान कर इनसे उद्‌बोधन/संबोधन भी करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. जयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह को समस्त जिलों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों पर लाईव दिखलाया जाना निश्चित किया गया है। अतः तदनुसार जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर लाईव कार्यक्रम दिखलाये जाने हेतु व्यवस्थाऐं सुनिश्चित की जाये।

संलग्नः–अतिथियों की सूची।

(इन्द्रजीत सिंह)
उपायुक्त एवं
शासन उप सचिव (प्रथम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2024.09.30 14:46:50 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।

RajKaj Ref No.: 10837159

3. निजी सचिव, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
5. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
8. एसीपी कम उप निदेशक, पंचायती राज को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।

उपायुक्त एवं
शासन उप सचिव (प्रथम)

Signature Not Verified

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2024.09.30 14:46:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10837159

दिनांक 02.10.2024 को पट्टा वितरण कार्यक्रम हेतु जिलेवार सूची

जिले का नामः– बीकानेर		
क.स.	सदस्य का नाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री टेकचन्द जी बराडेया	7976290453
2	श्री मूरलीधर सोंलकी जी	7023207777
3	श्री विष्णु जी बंजारा	9587159502
4	श्री सोहन जी सांसी	8107930954

जिले का नामः– अनूपगढ		
क.स.	सदस्य का नाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री मदन लाल जी सेवरा	9983230869
2	श्री मोहनलाल जी लुहार	9883220945
3	श्री रामलाल जी लुहार	8890705690
4	श्री दर्शन जी भाट	9783558258
5	श्री कालूराम जी	9772232254

जिले का नामः– हनुमानगढ		
क.स.	सदस्य का नाम	मोबाईल नम्बर
1	विक्रम जी भाट	9413951411
2	श्री अजय जी राव	7220051462
3	श्री जोगा सिंह जी सिकलीगर	9828485804
4	श्री मोहन लाल जी भाट	9024659102
5	श्री रामप्रताप जी	9782273478

जिले का नामः– श्री गंगानगर		
क.स.	सदस्य का नाम	मोबाईल नम्बर
1	रमेश जी धिंगडा	9001896406
2	श्री भीम जी सिंगल	9414087341
3	श्री साजन जी लुहार	9694000221
4	श्री जुगल जी सोंलकी	7733881322

जिले का नामः– नागौर		
क.स.	सदस्य का नाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री भोजराज अग्रवाल	9461350763
2	श्री मनरूप भादू	9828849755
3	श्री भंवरनाथ कालबेलिया	9982495493
4	श्री रूपाराम सारस	9116835502

जिले का नामः– पाली		
क.स.	सदस्य का नाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री दुर्गा दास जी	
2	श्री बोहरा राम जी बोराणा	9414814255
3	श्री महावीर जी सालेचा	8112260102
4	श्री राहुल जी मेहता	8696919996
5	श्री छगनलाल मालवीय	8696919996

जिले का नामः– जोधपुर		
क.स.	सदस्य का नाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री लूणाराम जी सैन	9414412942
2	श्री ललित जी मेवाडा	9460051880
3	श्री मनोहर जी डाबी गुडालिया लौहार	9983402872
4	श्री पी किशन जी राजनट	9929130404

जिले का नामः– बाडमेर		
क.स.	सदस्य का नाम	मोबाईल नम्बर
1	मेघराज सिंह राजपुरोहित	9414754056
2	श्री विक्रम सिंह जी तारातरा	9828277007
3	श्री रेखा नाथ कालबेलिया	9672662701
4	श्री माला जी गाछरिया लौहार	9983503751
5	श्री फतेह सिंह जी	9413138949

जिले का नामः–जालोर		
क.स.	सदस्य का नाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री बाबूलाल जी	9414546189
2	श्री छगनलाल जी	7231812568
3	श्री जोसनाथ जी	9001818592
4	श्री ओमप्रकाश जी	9116700685

जिले का नामः–सांचोर		
क.स.	सदस्य का नाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री जयरूप सिंह जी	8239272065
2	श्री कान्तिलाल जी	8003692421
3	श्री प्रभूराम जी जोगी	9772369048
4	श्री अजमल जी बंजारा	9414308078

जिले का नामः–सिरोही		
क.स.	सदस्य का नाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री जगदीश जी आर्य	9414288860
2	श्री ईश्वर सिंह जी	9413495442
3	श्री प्रभू जी	9950395344
4	श्री पप्पूनाथ जी	9571246778
5	श्री हेमाराम जी	9660241972

जिले का नामः– बालोतरा		
क.स.	सदस्य का नाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री धनश्याम राठौड	7737115888
2	श्री मिश्रा राम जी कालबेलिया	9928406318
3	श्री चेपाराम जी गाडिया लोहार	9982429986
4	श्री जबराराम जी सांची	9799196520

जिले का नामः– जैसलमेर		
क.स.	सदस्य का नाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री नवीन भाटिया	9414660894
2	श्री पूराराम जी	9414760699
3	श्री बिंजाराम गाडरिया लोहार	9602731513
4	श्री नाथूराम जी	9829285819

ऊं

घुमन्तु जाति उत्थान न्यास

चित्तौड प्रान्त

02 अक्टुबर 2024 पट्टा वितरण अभियान की कार्यकर्ता सूची

जिला–राजसमंद

क्र.सं.	नाम कार्यकर्ता	पता	दुरभाष
01	प्रभुलाल कालबेलिया	एमडी कांकरोली जिला–राजसमंद	9928228542
02	लक्ष्मण जी खटीक	केलवा जिला – राजसमंद	9829846643
03	लक्ष्मणनाथ कालबेलिया	गुंजोल नाथद्वारा	9636010702
04	जगदीश गाडिया लौहार	तसोल तह व जिला राजसमंद	9660659674

जिला– उदयपुर

01	पुष्कर जी लौहार	उदयपुर	9413262282
02	मगन जी जोशी	उदयपुर	9414156547
03	राजनाथ मेहर	मठ मादडी उदयपुर	8949087188
04	नारायण जी वागरीया	एकलिगपुरा गिर्वा उदयपुर	8107759901

जिला– बांसवाडा

01	हरीश चन्द्र जोशी	सालिया बांसवाडा	9784964867
02	परमेश्वर भावसार	बांसवाडा	9460246036
03	नरेन्द्र नाथ कालबेलिया	अमरसिह का गुडा मोटागावं बांसवाडा	8003977450
04	प्रेम शंकर नट	शेंरगढ (बेडाउ) बांसवाडा	9462331421

जिला– प्रतापगढ

01	कमलाशंकर	प्रतापगढ	9660920341
02	डॉ. प्रकाश जी	अरनोद जिला प्रतापगढ	9783560257
03	नेहरू लाल जी कालबेलिया	साबाखेडा जिला–प्रतापगढ	9785876633
04	पुष्कर जी गाडियालौहार	राजपुरिया जिला–प्रतापगढ	7878500487

जिला – चित्तौगढ

01	मनोहर जी	गगरार जिला –चित्तौडगढ	7597901102
02	रजत जी	चित्तौडगढ	9694184034
03	रामलाल गाडिया लौहार	निम्बाहेडा चित्तौडगढ	9413326673
04	दिनेश जी बंजारा	चंदेरिया जिला–चित्तौडगढ	8000341170

जिला – भीलवाडा

01	अक्षय जी शर्मा	भीलवाडा	9214542960
02	रोशन जी लौहार	आरजिया भीलवाडा	9413149010
03	डॉ पुष्कर लाल जी गाडियालौहार	बेराणा रायपुर जिला–भीलवाडा	9785286462
04	पुरणनाथ कालबेलिया	बलाईखेडा कालबेलिया बस्ती मांडल जिला – भीलवाडा	9166028129

जिला– अजमेर

01	राजेश कुमार कलवार	किशनगढ	9829144402
02	आशिश कुमार डीडवानिया	अजमेर	8949523427
03	दिनेश	अजमेर	9461069184
04	कमल सिगलीघर	रूपनगढ अजमेर	9352022878

जिला– ब्यावर

01	हेमसिह चौहान	रूपनगर अरनाली जिला ब्यावर	9462249790
02	नाहर सिह जी	लगेतखेडा ब्यावर	9928247071
03	लक्ष्मण सिह नायक	कालीकांकर	9829075178
04	सुरेश जी कंजर	ब्यावर छावनी	9680370391

जिला– कोटा

01	रवि कुमार	आनंद विहार कॉलोनी रामगंज मंडी जिला– कोटा	9214513558
02	रमेश नागर	इटावा कोटा	7014638304
03	विमल कुमार जी जैन	कोटा शहर	9887013137
04	तुफान जी बंजारा	ततियाबरडी रिछडिया रामगंज मंडी कोटा	8112267760

जिला – बुन्दी			
01	यशवन्त जी शर्मा	सूमेरगंज मंडी इन्द्रगढ जिला बुंदी	9829313876
02	रघुवीर सिह जी हाडा	बुन्दी	6376001637
03	छोटुलाल जोगी	नेनवा रोड बुन्दी	9680691741
04	चमन सिह बंजारा	बाछोला तह– नेनवा जिला बुन्दी	7239870310
जिला – बारां			
01	रामसागर जी	बारां	9799351088
02	राजुलाल कालबेलिया	अटरू जिला बारां	9784364050
03	धीरज जी बंजारा	बारां	7851037043
04	नरेन्द्र जी गाडिया लौहार	बारां	9929610462
जिला – झालावाड			
01	अनिल माहेश्वरी	मनोहर थाना झालावाड	9672331515
02	कोमल जी श्रृगी	बकानी झालावाड	9001499346
03	बालचन्द जी गाडिया लौहार	रायपुर झालावाड	7073443955
04	बाबुलाल बंजारा	बंजारो का खेडा गंगधार जिला झालावाड	9929105418
जिला – डुगरपुर			
01	प्रकाश जी कलाल	ओबरी सागवाडा	9610824740
02	बंशीलाल रेबारी	नांदली रेबारियों की ढाणी जिला डुगरपुर	8003320502
03	नाथु नाथ जी कालबेलिया	दाद आसपुर जिला डुगरपुर	9351569508

घुमंतू उत्थान न्यास, जयपुर प्रांत

घुमंतू जाति पट्टा वितरण कार्यक्रम 02.10.2024

प्रांत संयोजक :– महेन्द्र सिंह राजावत मो.नं. – 9928772290

क्र. सं.	जिला	कार्यकर्ता का नाम	चल दूरभाष नं.
1	जयपुर	महेन्द्र सिंह राजावत	9928772290
		भैरू जी बंजारा	9929053686
		राकेश जी शर्मा	9413967221
		राकेश जी सांसी	9309312469
2	दूदू	कुलदीप जी श्रीमाल	9414539852
		ओमप्रकाश जी	8078676303
		विष्णु जी लुहार	7742315801
		कालू जी लुहार	9001861250
3	टोंक	बाबुलाल जी मालपुरा	8104575614
		अनुराग जी	9928141081
		रामप्रसाद जी लुहार	
		पप्पू लाल बागरिया	9929737413
4	सवाईमाधोपुर	मान सिंह जी गुर्जर	9680774473
		मथुरा प्रसाद जी	9414911653
		रामसिंह जी लुहार	9509703012
		रबिया जी माधोपुर	9079054347
5.	करौली	जितेन्द्र जी	9414400892
		राजू जी	9649660070
		पप्पू जी बंजारा	8952022065
		सरदार जी बंजारा	9414033849
6.	दौसा	महावीर प्रसाद जी	9414517044
		रामेश्वर जी शर्मा	9694606313
		कमलेश जी सपेरा	9799386686
		प्रधान गाडिया लुहार	7734841636
7.	भरतपुर	संजय जी गुप्ता	9414377082
		संजय डांगी जी	9414347088
		राहुल खींची जी	7793067537
		विक्रम जी लुहार	9950139282
8.	धौलपुर	राकेश कुमार जी शर्मा	9414584956
		दीपक जी उपाध्याय	9414945792
		रमेश जी गाड़िया लुहार	8003473822
		राजकुमार जी	9680323351

9.	डीग	वेद प्रकाष जी पटेल	9929797935
		दीनदयाल जी शर्मा	9929318213
		विक्की जुरहेरा	729850043
		लड्डूर जी पहाड़ी	6350054292
10.	अलवर	अश्विनी जी	8209332502
		रमेश जी गुप्ता	8619056210
		रोहित लुहार	9588085474
		वकील लुहार	9928200826
11.	भिवाड़ी	सत्येन्द्र कुमार जी	9461412032
		सूर्यकांत जी शर्मा	9680725802
		कुशाल जी नट	6367595472
		विजय जी मालवत	9610284877
12.	कोटपुतली	हरीराम जी सैनी	9829972324
		प्रफुल रमन जी	9602503966
		प्रकाश जी बंजारा	9680011492
		संजय जी लौहार	9461283719
14.	चूरू	मदन लाल प्रजापत	9414776458
		अशोक शर्मा	9414332293
		रामजीलाल लुहार	9460259573
		राजूराम भाट	9571161006
15.	झुन्झुनू	जगदीश सिंह जी	9460735193
		मनोज जी शर्मा	7374088137
		दीपक जी	8233014007
		जसवंत	8290849188
		मुकेश लुहार	9784145262
16.	सीकर	सुरेन्द्र जी सैनी	9828749219
		सीताराम जी	9828190391
		ईश्वर जी बंजारा	9799203449
		रवि आनन्द जी	9314563283
17	नीमका थाना	धनंजय जी	9829804000
		गुलशन जी	8114457167
		मनोज सिंह	9829127320
		नीरज जी पाटन	